

कचरा संग्रहण वाहनों ने अपना ही रिकार्ड तोड़ा

31 मार्च गुरुवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 258 ट्रीप

कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों का आज होगा सम्मान

127 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 31 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ.सुन्दर बनाने तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 बनाने हेतु नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के चालकों व हैल्परों ने 31 मार्च गुरुवार को ओर अधिक मुस्तैदी से कार्य करते हुए नगर के 49 वार्डों के घरों से कचरा संग्रहण हेतु 258 ट्रीप लगाकर अपना ही रिकार्ड तोड़ा। इससे पूर्व 16 मार्च को 225 ट्रीप लगाई गई थी। एक ही दिन में 258 ट्रीप लगाने पर कचरा संग्रहण वाहनों के समस्त ड्रायवर व हैल्परों का 01 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 06:00 बजे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया सम्मान करेंगे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 31 मार्च गुरुवार को 127 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

31 मार्च गुरुवार को डम्पर से 42905 किलोए टे^० कटर से 9170 किलोए मैजिक सूखा कचरा 46590 किलोए मैजिक गीला कचरा 28635 किलोए सेनेटरी वेस्ट 10 किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 6 किलो इस तरह कुल 127316 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

रतलाम स्वच्छता संगीत सुपर स्टार प्रतियोगिता आज

रतलाम 31 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर निगम रतलाम द्वारा 01 अप्रैल शुक्रवार को रतलाम स्वच्छता संगीत सुपर स्टार प्रतियोगिता का आयोजन गुलाब चक्कर में दोपहर 3 बजे से किया गया है। प्रतियोगिता जूनियर व सीनियर वर्ग में आयोजित होगी जूनियर वर्ग में 06.15 वर्ष व सीनियर वर्ग में 15 वर्ष से अधिक के प्रतियोगी भाग लेंगे। दोनों वर्गों में 5.5 विजेताओं को नकद राशि 5000 रु. व प्रशस्ती पत्र प्रदान किये जायेंगे।

गंदगी करने पर छाजेड़ किराना 2 दिनों के लिये सील

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 31 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं व मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 31 मार्च गुरुवार को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया व नीमचौक क्षेत्र में छाजेड़ किराना संचालक द्वारा गंदगी करने पर दुकान 2 दिन के लिये सील की।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जैन रेस्टोरेंट जीतू मायबड़, कैलाश गणपत, राजेश करमैया, पृथ्वीराज सिंह, राजेश टांक पर 500.500 रु. अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर 300 रु. वीरेन्द्र पर 250 रु. गजेन्द्र सिंह पर 200 रु. समरथ पर 100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझौता दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीश झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

2 अप्रैल गुड़ी पड़वा पर पशु वध करना व मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 31 मार्च । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 2 अप्रैल शनिवार गुड़ी पड़वा व चैती चांद पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना मटन गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निशेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

20 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त
रतलाम 31 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 15 व दोपहर की शिफ्ट में 5 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त धनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

31 मार्च गुरुवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में अजय.विनोद, बादल.दिलीप, सुनील.षंकरलाल, विषाल.मुकेश, झोन क्रमांक 2 में विमलाबाई पति नारायण, रवि.सुरेश, महेश.देवकरण, बबीताबाई पति मंगल, संजय.बच्चू, कन्हैया.कमल, दीपक.राजू, झोन क्रमांक 3 में मुकेश.रामलाल, रोहित.पवन, प्रमोद.जगदीश, झोन क्रमांक 4 में महेश बाबुलाल व दोपहर की शिफ्ट

में झोन क्रमांक 2 में रंजनाबाई पति सुरेश महेन्द्र.पप्पू सुनील.ष्यामलाल ए कृष्णाबाई पति बसंतीलाल व ष्यामाबाई पति ओमप्रकाश इस तरह 20 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त धनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त धनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी
1447 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 31 मार्च । नगर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1447 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 31 मार्च तक 1447 मवेशियों को पकड़ा जाकर गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 31 मार्च को नगर के विभिन्न स्थानों से 9 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६ वसूल करेगा।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 31 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 31 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज

प्लास्टिक ,प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड ए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक ए प्लास्टिक झण्डे ए कैंडी स्टिक ए आईस्क्रीम स्टीक ए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल ए प्लास्टिक प्लेट्स ए कप ए ग्लास ए फोर्क ए चम्मच ए चाकू ए स्ट्रा ए टे^a ए स्वीट बाक्स ए निमंत्रण पत्र ए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म ए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ,पॉलीथीन के निर्माता ए भण्डारकर्ता ए विक्रेता ए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण ए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ ए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो० नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 31 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निशपादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2^ण0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट^ए ईंट^ए मुरम^ए मलबा^ए स्टील^ए लकड़ी^ए प्लास्टिक^ए मोर्टर^ए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 31 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000[₹] एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500[₹] प्रति श्वान

तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100६ रुपये जमा कराना होगा। प्वान पालकों को अधिकतम 2 प्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 31 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रुपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रुपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए

गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविहेमन्त31032022नपाणिगमए रतलाम